



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122021-231604
CG-DL-E-04122021-231604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4613]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2021/अग्राहायण 12, 1943

No. 4613]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2021/AGRAHAYANA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2021

का.आ. 4984(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, एक डीएचडीटी रिएक्टर को मेसर्स आईएसजीईसी हिताची जोसेन लिमिटेड दहेज से मेसर्स एचपीसीएल रिफाइनरी, पचपदरा, राजस्थान, तक, सड़क मार्ग से ले जाने के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स रेशमसिंह एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, मेसर्स आईएसजीईसी हिताची जोसेन लिमिटेड, दहेज का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1.	एमएच-46 एएफ-1514	
2.	एमएच-46 एच-4364	
3.	एमएच-43 यू-4206	

4.	केए-01 सी-9296	वोल्वो
5.	केए-01 सी-9291	
6.	एमएच 46 बीएफ 1049	
7.	एमएच 46 बीबी 3192	
8.	एमएच-06-एक्यू-6340	
9.	एमएच-46-एच-0908	
10.	एमएच 46 एच 5578	
11.	एमएच-46-बीएफ-6951	
12.	एमएच-46-बीएम-6939	
13.	जीजे01ईटी5508	
14.	जीजे01ईटी8109	
15.	जीजे18एटी8496	
16.	जीजे18एटी8498	
17.	जीजे18एटी8758	
18.	जीजे18एटी9009	
19.	जीजे18एक्स9387	
20.	जीजे12बीडब्ल्यू8980	
21.	जीजे12एजेड8658	
22.	एमएच06एसी8789	

3. उपरोक्त एक फेरे के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रैलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:—

क्रम सं	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	जीजे-12 एटी-9249	4	104
2.	जीजे-12 एटी-9250	4	104
3.	जीजे-12 एटी-9251	4	104
4.	एमएच-43 यू-6340	4	104
5.	एमएच-43 यू-6341	8	208
6.	एमएच-43 यू-6342	8	208
7.	एमएच-46 एआर-1830	3	78
8.	एमएच 46 एआर 1831	3	78
9.	एमएच 46 एआर 1832	4	104
10.	एमएच 46 एआर 1833	4	104
11.	एमसीवाई-1719	4	104
12.	एमसीवाई-1720	8	208
13.	एमएच-06-9146	4	104
14.	एमएच-06-9148	6	156

15.	एमएच-06-9149	4	104
16.	एमएच-06-9150	6	156
17.	एचआर-55 एजी-0730	3	78
18.	एमएच-46 एच-5554	6	156
19.	जीजे01सीयू8435	4	104
20.	जीजे01सीयू7667	6	156
21.	जीजे01सीयू7680	6	156
22.	जीजे01सीयू7681	4	104
23.	जीजे01सीवाई4005	6	156
24.	जीजे01सीवाई6606	6	156
25.	एचआर38एबी6016	6	156
26.	एचआर38एबी7856	6	156
27.	एचआर38वाई3640	6	156
28.	एचआर38वाई8861	4	104
29.	एचआर55एजी0537	4	104
30.	एचआर55एजी1023	4	104
31.	एचआर55एजी2913	4	104
32.	एचआर55एजी8363	4	104
33.	एचआर38जेड7506	6	156
34.	एचआर38जेड5114	4	104

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा:—

खाली भार (टन में)	खेप का भार	यान का लदान के साथ भार	लोड प्रति एक्सल लाइन	खेप का समग्र आयाम (मिमी में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
158.40 टन	760 टन	918.40 टन	20.87 टन	42920 X 8300 X 8120	प्रत्येक पंक्ति में 1+1 धुरी; आम बोलचाल में 22 धुरी पंक्ति (44 धुरी पंक्ति के बराबर); 1+1 धुरा चौड़ाई में युग्मित किया जाएगा। (एक धुरी पंक्ति में 16 पहिया)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

(i) उपरोक्त कन्साइनमेंट का परिवहन, आईएसजीईसी दहेज से एचपीसीएल रिफाइनरी, पचपदरा, राजस्थान को इस विशिष्ट मार्ग से होगा-

सड़क मार्ग से आईएसजीईसी, दहेज से आईएसजीईसी दहेज जेट्टी तक;

डंब बार्ज से आईएसजीईसी जेट्टी से मुंद्रा पोर्ट तक;

मुंद्रा पोर्ट से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी तक:- मुंद्रा पोर्ट - अंजार - आदिपुर - गांधीधाम रोड - भचाऊ - संतालपुर - सुइगाम - सांचोर - रामजी का गोल - गुडमलानी - बालोतरा - एचपीसीएल रिफाइनरी पचपदरा, राजस्थान।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(v) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vi) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(vii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(viii) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(ix) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।

(x) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xi) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiii) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में रेजिस्ट्रीकृत हैं।

(xiv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

(xv) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/05/2021-एमवीएल (भाग-2)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2021

S.O. 4984(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one DHDT Reactor from M/s. ISGEC Hitachi Zosen Ltd. Dahej to M/s. HPCL Refinery, Pachpadra, Rajasthan by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Reshamsingh & Co. Pvt. Ltd., Mumbai is the transporter of M/s ISGEC Hitachi Zosen Ltd. Dahej.
2. The following prime movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1	MH-46 AF-1514	VOLVO
2	MH-46 H-4364	
3	MH-43 U-4206	
4	KA-01 C-9296	
5	KA-01 C-9291	
6	MH 46 BF 1049	
7	MH 46 BB 3192	
8	MH-06-AQ-6340	
9	MH-46-H-0908	
10	MH 46 H 5578	
11	MH-46-BF-6951	
12	MH-46-BM-6939	
13	GJ01ET5508	
14	GJ01ET8109	
15	GJ18AT8496	
16	GJ18AT8498	
17	GJ18AT8758	
18	GJ18AT9009	
19	GJ18X9387	
20	GJ12BW8980	
21	GJ12AZ8658	
22	MH06AC8789	

3. The following independently registered hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:—

Sl. No.	Registration No. of Trailers	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight(in Tons)
1	GJ-12 AT-9249	4	104
2	GJ-12 AT-9250	4	104
3	GJ-12 AT-9251	4	104
4	MH-43 U-6340	4	104
5	MH-43 U-6341	8	208
6	MH-43 U-6342	8	208
7	MH-46 AR-1830	3	78
8	MH 46 AR 1831	3	78
9	MH 46 AR 1832	4	104
10	MH 46 AR 1833	4	104
11	MCY-1719	4	104
12	MCY-1720	8	208
13	MH-06-9146	4	104
14	MH-06-9148	6	156
15	MH-06-9149	4	104
16	MH-06-9150	6	156

17	HR-55 AG-0730	3	78
18	MH-46 H-5554	6	156
19	GJ01CU8435	4	104
20	GJ01CU7667	6	156
21	GJ01CU7680	6	156
22	GJ01CU7681	4	104
23	GJ01CY4005	6	156
24	GJ01CY6606	6	156
25	HR38AB6016	6	156
26	HR38AB7856	6	156
27	HR38Y3640	6	156
28	HR38Y8861	4	104
29	HR55AG0537	4	104
30	HR55AG1023	4	104
31	HR55AG2913	4	104
32	HR55AG8363	4	104
33	HR38Z7506	6	156
34	HR38Z5114	4	104

4. GVW of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:—

Unladen weight in Tons	Weight of consignment	Laden Weight of the Vehicle	Load per axle line	Overall dimension of consignment (in MM) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
158.40 Tons	760 Tons	918.40 Tons	20.87MT	42920 X 8300 X 8120	1+1 axles in each row; 22 axle rows (equivalent to 44 axle row) in common parlance; will be coupled in 1+1 axle width. (16 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that :—

- i. The specific route for transportation of the consignments Movement from ISGEC, Dahej to HPCL Refinery Pachpadra, Rajasthan by Road: -
ISGEC, Dahej to ISGEC Dahej Jetty by Road;
ISGEC Jetty to Mundra Port by Dumb Barge;
From Mundra Port to HPCL Rajasthan Refinery: Mundra Port – Anjar – Adipur – Gandhidham Road – Bhachau – Santalpur – Suigam – Sanchore - Ramji Ka Gol – Gudamalani – Balotra - HPCL Refinery Pachpadra, Rajasthan.
- ii. Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- v. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.

- vi. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- vii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- viii. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- ix. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- x. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xi. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiii. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the State of Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra.
- xiv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xv. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/05/2021-MVL(part-2)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.